उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-857 /ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(24)-2017

लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय व्यवहृत करने वाले और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा अवधारित पुराने माल की जावक पूर्ति के मूल्य पर राज्य कर का संदाय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता से प्राप्त पुराने माल की अंतःराज्यिक पूर्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।